भेजा जाना चाहिए। अब लाभार्थी से कोई प्रपत्र भरवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उससे परिवार आदि का विवरण तथा मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति ले लेनी चाहिए।

सामूहिक बीमा योजना से सम्बन्धित शासनादेश तथा नियम

1. सामान्य नियम एवं प्रक्रिया
(General Rules & Procedure)

1

संख्या सामान्य-3-832/दस-14/76

प्रेषक,

श्री ऋषि कुमार कौल,
आयुक्त एवं वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष तथा
अन्य प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 दिनांक, लखनऊ 24 मई, 1976

विषय :- राज्य कर्मचारियों के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा योजना लागू किया जाना।

महोदय,

शासन के विचाराधीन यह प्रश्न काफी समय से था कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कल्याणार्थ उनके भविष्य की सुरक्षा के लिये क्या उपाय किया जा सकता है। इधर शासन के देखने में यह भी आया कि उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों में सेवारत मृत्यु की दर अधिक बढ़ गयी है। सेवारत मृत्यु होने की दशा में मृतक अधिकारी/कर्मचारी के परिवार को अत्यधिक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और नियमानुसार उसके परिवार को प्राप्त होने वाली आनुतोषिक, प्रावीडेन्ट फंड तथा पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने के उपरान्त भी आर्थिक कठिनाई बनी रहती है। इन कठिनाइयों को किसी सीमा तक दूर करने के उद्देश्य से शासन ने भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से सामूहिक बीमा योजना लागू किये जाने का निश्चय किया। पुलिस विभाग के अधीन अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों पर यह योजना दिनांक 1 मार्च 1974 से ही लागू की जा चुकी है। अतः शेष अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर यह योजना दिनांक 1 मार्च 1976 से लागू किये जाने के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2-भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा योजना के अनुसार प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को 10 रु0 प्रतिमाह की दर से अभिदान देना होगा। इस अभिदान पर शासन प्रत्येक कर्मचारी के लिये लगभग रु0 0.85 पैसे प्रति माह की दर से अपना अंशदान भारतीय जीवन बीमा निगम को देगा। इस प्रकार जो धनराशि भारतीय जीवन बीमा निगम को देय होगी वह "रिस्क प्लान का प्रीमियम" तथा "डिपाजिट एडमिनिस्ट्रेशन प्लान की और प्रीमियम" में विभाजित की जायेगी। रिस्क प्लान के लिये रु0